केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
(भारत सरकार, गृह मंत्रालय)
पूर्वोत्तर सैक्टर
के0रि0पु0बल में सिपाही/(जी0डी) पुरूष और महिला की भर्ती के लिए विज्ञापन–2010

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही(सामान्य ड्यूटी) पुरूष और महिला के पदो पर भारतीय नागरिकों से जो सामान्यतः अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय राज्यों के मूल निवासी हो, उनसे निम्नलिखित रिक्तियों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं ।

2. वेतनमानः– उक्त पद के लिए वेतनमान वेतन बैन्ड–I रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– है ।

3. अन्य भत्तेः– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर नियमों के अनुसार देय भत्ते लागू होगें ।

4. तैनाती का स्थानः– चयनित उममीदवार को भारत या भारत के बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

5. (i) राज्यवार/वर्गानुसार रिक्तियां निम्न प्रकार से जारी/अधिसूचित की जाती है ।

राज्य	सामान्य + भू0पू0सै0	अ0ज0जा0 + भू0पू0सै0	अ0जा0 + भू0पू0सै0	अ0पि0व0 + भू0पू0सै0	कुल रिक्तियां
अरूणाचल प्रदेश(पुरूष)					
सामान्य रिक्तियां	05+01	05+00	..	..	10+01
बैक लॉग	..	..	05+00	..	05+00
विशेष नियुक्ति	15+02	13+02	..	..	28+04
कुल	20+03	18+02	05+00	..	43+05
आसाम(पुरूष)					
सामान्य रिक्तियां	119+13	26+03	15+02	60+06	220+24
बैक लॉग	..	..	..	01+00	01+00
विशेष नियुक्ति	387+43	86+09	50+06	194+21	717+79
कुल	506+56	112+12	65+08	255+27	938+103

मेघालय (पुरूष)					
सामान्य रिक्तियां	10+01	08+01	..	01+00	19+02
बैक लॉग	..	..	01+00	03+00	04+00
विशेष नियुक्ति	31+04	27+03	01+00	03+00	62+07
कुल	41+05	35+04	02+00	07+00	85+09
आसाम (महिला)					
सामान्य रिक्तियां	02+00	..	..	01+00	03+00
बैक लॉग	..	..	04+0	16+00	20+00
विशेष नियुक्ति	05+00	01+00	01+00	03+00	10+00
कुल	07+00	1+00	05+00	20+00	33+00
मेघालय (महिला)					
सामान्य रिक्तियां	..	..	..	..	..
बैक लॉग	..	..	..	..	..
विशेष नियुक्ति	01+00	..	..	..	01+00
कुल	01+00	..	..	..	01+00

नोटः— I) बिना कारण दर्शाए प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त रिक्तियों में घट—बढ. हो सकती है ।

II) यदि उचित भूतपूर्व सैनिक नहीं आते है, तो उनको रिक्तियां उसी वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जाएगी ।

6. चयनित उम्मीदवारों पर केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 01—01—2004 से शुरू की गई नई अंशदान पेंशन लागू होगी ।

7. भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षित सैनिक होने के कारण उन्हे केवल लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होना होगा । सरकारी आदेशानुसार निर्धारित शारीरिक और शैक्षिक मानदण्ड में छूट प्राप्त है । उपरी आयु सीमा में सैनिक सेवा + 3 वर्ष की छूट प्राप्त है । तथापि सैनिक सेवा और पुनर्नियुक्ति के अन्तराल की अवधि 24 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए । भू0पू0 सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की आवश्यकता नहीं है ।

सेवारत के0रि0पु0बल के कार्मिकों के वार्ड यदि चाहें तो आवेदन कर सकते है। तद्नुसार उन्हे सामान्य उम्मीदवार के साथ प्रतिष्पर्द्धा करनी होगी । सेवारत के0रि0पु0बल कार्मिकों के वार्ड या तो गृह राज्य अथवा जहॉ उसके माता/पिता भर्ती के समय तैनात है उस राज्य से आवेदन कर सकते हैं ।

8. **योग्यता की शर्ते**

ए) आयुः– प्रथम अगस्त 2010 को 18 से 23 वर्ष

छूटः–

अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष तक । इसके अतिरिक्त,

(i) जम्मू कश्मीर के निवासियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट (इस संवध में सूचना बुकलेट का पैरा संख्या–2(ii) (बी) संदर्भित है ।)

(ii) वर्ष 1984 के उपद्रव और वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दगों में मारे गए व्यक्तियों के वच्चों और परिवार जनों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट (इस संवध पैरा–2 (ii)(c) है)

बी) शैक्षणिक योग्यताः–

मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय से 10 वीं पास । अरूणाचल प्रदेश राज्य के तिरप एवम् चांगलांग जिलों के आदिवासी जनजाति के उम्मीदवारों (पुरूष एवम् महिला) के लिए शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास होगी ।

सी) शारीरिक मानदण्डः–

उॅचाई :– पुरूष = 170 से0मी0
महिला= 157 से0मी0

सीनाः– (केवल पुरूषों के लिए)बिना फुलाए= 80 से0मी
फुलाकर = 85 सेमी
(न्यूनतम 5 से0मी0 फुलाव आवश्यक है)

छूटः–

गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों को शारीरिक मानदण्ड (उॅचाई और सीना) में छूट (इस संवध में पैरा–2 (चार) (बी) (सी) ओर (डी) सूचना पुस्तिका का संदर्भित है) अरूणाचल प्रदेश राज्य के तिरप एवम् चांगलांग जिलों के आदिवासी जनजाति के पुरूष उम्मीदवारों के लिए उॅचाई 157.5 से0मी0 होगी । सूचना बुकलेट के पैरा–2 (चार) (बी) और (सी) के अनुसार छूट परिशिष्ट सी के फार्मेट में सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर दी जाएगी । सूचना पुस्तिका के पैरा 2(चार) (डी) में दिए अनुसार उॅचाई और सीना में छूट परिशिष्ट ए में दिए गए फार्मेट में सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए

अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगी । यह आसाम के उम्मीदवारों के लिए लागु नहीं है ।

वजनः– चिकित्सा मानदण्ड के अनुसार उँचाई और आयु के अनुपात में ।

डी) चिकित्सा मानदण्ड
सूचना पुस्तिका के पैरा–2 (पांच) (ए) और (बी) के अनुसार

10. चयन प्रकिया

सभी पात्र उम्मीदवार जिनके आवेदन पत्र उचित पाए जाते है को भर्ती प्रकिया में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र/वुलावा पत्र जारी किया जायेगा । ऐसे पात्र उम्मीदवारों की सूची आवेदन प्राप्त होने वाले केन्द्र पर भी प्रदर्शित की जाएगी । उम्मीदवारों को भर्ती के निम्न प्रकिया से गुजरना होगा ।

ए) उँचाई की माप
बी) दौड़
सी) पहचान की जांच
डी) प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों की जांच
ई) शारीरिक मापदण्ड जांच
एफ) शारीरिक दक्षता की जांच
जी) लिखित परीक्षा
एच) चिकित्सा परीक्षण

नोटः– चयन प्रकिया का संपूर्ण विवरण सूचना पुस्तिका के पैरा–3 में देखा जा सकता है ।

11. इछुक उम्मीदवार ओ एम आर आवेदन पत्र के लिए आवेदन कर सकते है, जिसे ''सूचना पुस्तिका'' के साथ रू0 40/– (रूपए चालीस) मात्र डाक हैन्डलिंग प्रभार पर दिनांक 26/07/2010 से 14/08/2010 तक निम्न डाक घरों से खरीदा जा सकता है ।

राज्यः–	डाकघर जिनकी पहचान आवेदन पत्र वेचने के लिए की गई है ।
आसाम	सिलचर, करीमगंज, हाइलाकंडी, हाफलांग, डिफू, गोलाघाट, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सिवसागर उत्तरी लखीमपुर, घेमाजी तेजपुर, नगॉव, धुवरी, मुसलपुर, उदालगुड़ी, गुवाहाटी, रंगिया, विजॉय नगर, बारपेटा, नलवारी, मोरीगॉव,

न्यू बोगांइगॉव, ढ़ालीगॉव, मंगलदोई, ग्वालपाड़ा और कोकराझाड,

अरूणाचल प्रदेश अलांग, नहलागुन, पासीघाट और इटानगर

मेघालय शिलांग, तुरा और जवाई

इसके अतिरिक्त सामान्य/अ0पि0 वर्ग के उम्मीदवारों को रू0 50/–(रूपए पचास) आवेदन शुल्क के रूप में नजदीकी डाकघर जहॉ ई0 भूगतान की सुविधा उपलब्ध है इलेक्ट्रोनिक भुगतान (ई पेमेन्ट) करके जमा करने होगें, और ई पेमेन्ट का रसीद नम्बर ओ एम आर आवेदन पत्र में दर्शाना होगा । ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा । आवेदन शुल्क के अतिरिक्त ''ई पेमेन्ट'' शुल्क जो भी लागू हो, का भुगतान भी सामान्य तथा अ0पि0 वर्ग उम्मीदवारा को करना होगा । अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों और भू0पू0 सैनिक को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है । प्रत्येक ओ एम आर आवेदन पत्र को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है । डाकघर से ओ.एम.आर आवेदन प्राप्त करने में कोई परेशानी होने पर उम्मीदवार को सवंधित पोस्टमास्टर से संपर्क करना चाहिए । सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र निम्न केन्द्र जिनकी पहचान उस राज्य/जिले के आवेदन प्राप्त कर्ता के रूप में की गई है को निर्धारित लिफाफा में दिनांक 25/08/2010 के पूर्व या कार्यदिवस समाप्ति के पूर्व तक, दस्ती अथवा स्पीड/पंजीकृत डाक से पहुंच जाना चाहिए । अन्तिम/निर्धारित दिन के पश्चात और किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन पत्र को ग्रहण नहीं किया जाएगा । और सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

राज्य	जिले के उम्मीदवारों के लिए	आवेदन प्राप्त कर्ता केन्द्र
आसाम	धुबरी, काकराझाड़, बोंगाइगांव, बारपेटा, नलबाडी, बक्सा, चिरांग, ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी शहर, कामरूप	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द, केरिपुबल, गुवाहाटी, डाकघर–आमेरीगोग , नौ माईल, गुवाहाटी (आसाम)–781023
आसाम	कार्बिआंगलॉग, गोलाघाट, जोरहाट, डिब्रुगढ़, तिनसुकिया, सिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, उदालगुड़ी, दारंग, मोरीगॉव, सोनितपुर,	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द, केरिपुबल, खटखटी, डाकघर–दीमापुर, जिला–कार्बिआंगलॉग,(आसाम)–797112, आसाम

	नगॉव	

आसाम	एन0सी0हिल, कछार, हाइलाकण्डी, करीमगंज	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द, केरिपुबल, सिलचर, डाकघर–उघारबंद, सिलचर, जिलाः–कछार, (आसाम)–788030
अरूणाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द, केरिपुबल, खटखटी, डाकघर–दीमापुर, जिला–कार्बिआंगलॉग,(आसाम)–797112, आसाम
मेघालय	संपूर्ण राज्य	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द, केरिपुबल, गुवाहाटी, डाकघर–आमेरीगोग , नौ माईल, गुवाहाटी (आसाम)–781023

12. कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र इत्यादि को आवेदन पत्र के साथ भेजने की आवश्यकता नहीं है । तथापि जव उम्मीदवार भर्ती प्रकिया के स्थल पर निर्धारित दिन तथा समय पर रिपोर्ट करते है, तो उसे मूल दस्तावेज उनकी एक सत्यापित फोटोप्रति सहित, सूचना पुस्तिका के पैरा 8 (ii) दर्शाए अनुसार लाना चाहिए ।

13. मेघालय और अरूणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों को उनके राज्य में भर्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी जिसे सबंधित राज्य द्वारा अधिवास की स्थिति प्रमाणित करने के लिए, अधिकृत किया गया हुआ होगा, के द्वारा ''अधिवास प्रमाणपत्र'' पत्र प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जाएगा । उपरोक्त आसाम के उम्मीदवारों के लिए लागू नही है ।

14. उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक बेवसाइट एस0एम0एस0 आधारित निम्न दूरभाष नम्बरो पर खोली गई है ।

इन्टरएक्टिव बेवसाईटः– www.crpf.gov.in-recruitment-ct/gd 2010
or
www.crpfrecruitment.org

टेलिफोन नं0 :– 0120–3800900
एस0एम0एस नं0 :– CRPF56767

उपरोक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार, आवेदन प्राप्त करने वाले सैक्टर/केन्द्र को निम्न टेलिफोन नं0, मोबाईल नं0 और ई मेल पते पर मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं ।

सेक्टर/आवेदन प्राप्त कर्ता केन्द्र	दूरभाष नं0	मोबाईल नं0	ई–मेल पता
पूर्वोत्तर सैक्टर मुख्यालय, शिलांग	0364–2224777		
ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल गुवाहाटी	0361–2895132		Diggccrpfgty23@gmail.com
ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल खटखटी	03675–249056		Diggckkt@crpf.gov.in

15. **सामान्य अनुदेशः–**

एक) नियुक्त होने पर उम्मीदवार केरिपुबल अधिनियम 1949 और केरिपुबल नियमावली 1955 के साथ साथ सरकार द्वारा जारी अनुदेश/नियम जो भी लागू हो के द्वारा शासित होगें ।

दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा/यात्रा के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान/घायल होने पर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी ।

तीन) उम्मीदवारों को अपने साथ निम्नलिखित सामग्री (नीला/काला बॉल प्वाईन्ट पेन और क्लिप बोर्ड इत्यादि) लिखित परीक्षा के लिए लाना होगा ।

चार) उम्मीदवारों को भर्ती के लिए निजी व्यवस्था पर ठहरने के लिए तैयार होकर आना होगा ।

पांच) उम्मीदवारों को चयन परीक्षा के लिए अपने व्यय और जोखिम पर प्रस्तुत होना होगा और यात्रा भत्ता /मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा ।

छह) सभी पात्र उम्मीदवारों को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा भर्ती की तिथि और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा ।

सात) नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सीने के एक्सरे, पैथोलोजिकॉल परीक्षण और अन्य जांच करानी होगी ।

आठ) नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को केरिपुबल के प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

नॉ) चयन/नियुक्ति के वाद यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाने का दोषी या अयोग्य पाया जाता है, तो बिना किसी कारण बताए उसकी सेवाएँ बरखास्त कर दी जाएगी ।

दस) किसी भी प्रकार के गलत माध्यमों का सहारा लेना या बाहरी प्रभाव लाना उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित करेगा ।

ग्यारह) लिखित परीक्षा के परिणाम को केरिपुबल की बेवसाईट के साथ साथ भर्ती केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर भी प्रर्दर्शित किया जाएगा ।

बारह) केरिपुबल के भूतपूर्व कार्मिक को नया अभ्यर्थी माना जाएगा और वे भूतपूर्व सैनिको कों मिलने वाले किसी भी प्रकार की छूट के लिए ग्राह्य नहीं होगें ।

ह0 12–07–2010
(रोहित कुमार सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक
पूर्वो0सै0मु0, केरिपुबल, शिलांग

डीएवीपी 19111/11/0173/1011